

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.10(क)()का.भा./डीएलबी/22/ १५९८

दिनांक: १०/६/२२

आदेश

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 43 के क्रम में विभागीय अधिसूचना कंसांक 2025 दिनांक 01.06.2021 को दृष्टिगत रखते हुये ग्राम पंचायत सिवाना (बाडमेर) के निर्वाचित सरपंच/उपसरपंच एंवं निर्वाचित वार्ड पंचों को नवगठित नगर पालिका सिवाना (बाडमेर) में क्रमशः अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एंवं वार्ड सदस्य समझा जावेगा ।


उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।


(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
दिनांक १०/६/२२

क्रमांक: प.४(ड)()का.भा./डीएलबी/22/ १५९९-१५१४

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज. जयपुर ।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, / पंचायती राज. विभाग जयपुर ।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर ।
5. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय राज. जयपुर ।
6. जिला कलक्टर, बाडमेर को भेजकर निवेदन है कि ग्राम पंचायत के निर्वाचित सरपंच/उपसरपंच/एवं निर्वाचित वार्ड पंचों के विरुद्ध किसी प्रकार का न्यायिक प्रकरण /वाद/जांच आदि विचाराधीन नहीं होने की स्थिति में नवगठित नगर पालिका में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष /वार्ड सदस्य समझा जावेगा ।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर ।
8. संरपंच/उपसरपंच एवं निर्वाचित वार्ड पंच ग्राम पंचायत सिवाना (बाडमेर)
9. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका सिवाना (बाडमेर)
10. जनसंपर्क अधिकारी, निदेशालय को प्रकाशन हेतु ।
11. प्रभारी मोनिटरिंग सेल को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
12. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ ।
13. सुरक्षित पत्रावली ।


(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी